न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज०

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी–हेमन्तकुमार घनघोर आर0ए0एस0

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
16/2018	30.05.2018	28.11.2025

बद्रीलाल आत्मज जगन्नाथ जाति बैरवा निवासी नोनेरा हाल मुकाम इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज.।

प्रार्थी

बनाम

1. धनराज पुत्र तुलसीराम जाति नायक निवासी नोनेरा हाल मुकाम मोरपा तहसील दीगोद जिला कोटा राज.।
2. मदनलाल पुत्र मथुरालाल जाति बैरवा निवासी नोनेरा हाल मुकाम इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज.।
3. रामप्यारी पुत्री मथुरालाल पत्नि रामकुंवार जाति बैरवा निवासी नोनेरा हाल मुकाम गोहाटा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज.।
4. सुमित्रा पुत्री मथुरालाल पत्नि रामरतन जाति बैरवा निवासी नोनेरा हाल मुकाम गैता तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज.।
5. कंवरीबाई विधवा मथुरालाल जाति बैरवा निवासी नोनेरा हाल मुकाम इटावा जिला कोटा राज.।
6. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार साहब पीपल्दा जिला कोटा राज.

अप्रार्थीगण

आदेश

अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा

संक्षेप में प्रा0 पत्र इस प्रकार है कि प्रार्थी बद्रीलाल को वाके माल मौजा में खसरा नं. 378 की रकबा 13 बीघा कृषि आराजी आवंटित दिनांक 17–6–1976 को की गई जो सिलिंग सिवाईचक भूमि थी। आवंटित कृषि आराजी भूमि आवंटन अधिनियम 20 ए राजस्थान कृषि जोत अधिकतम सीमा अधिनियम के तहत आवंटित हुई थी। प्रार्थी द्वारा निवेदन किया है कि आवंटन के समय तत्काल आवंटित कृषि आराजी का भौतिक रुप से दखल व कब्जा प्रार्थी के सुपुर्द कर दिया गया तब से लगातार आज तक प्रार्थी जिस आराजी का दखल व कब्जा सुपुर्द किया गया था शांतिपूर्ण तरीके से काश्त करता चला आ रहा है। किन्तु राजस्व कर्मचारियों की गलती व त्रुटि के कारण जब आराजी का राजस्व रिकॉर्ड नक्शा ट्रेस बनाया गया तो प्रार्थी की भूमि का खसरा नं. 256 रकबा 2.08 हैक्टर के स्थान पर गलत रुप से खसरा नं. 259 रकबा 2.08 दर्ज कर दिया गया इस गलती के कारण अप्रार्थीगण 1 लगायत 5 प्रार्थी की कृषि आराजी में जबरदस्ती बल पूर्वक घुसने पर आमादा जिसका उन्हें कोई कानूनी अधिकार नहीं है। तथा वो दुसरे खसरा नम्बर की भूमि में काश्त कर रहे है प्रार्थी पिछले 42 वर्षों से उक्त भूमि में काश्त करता

चला आ रहा है। जबकि प्रार्थी के खाते खसरा नं. 259 की रकबा 2.08 हैक्टर प्रार्थी के खाते दर्ज हो रही है।जबकि वास्तविक तौर पर कृषि आराजी खसरा नं 256 की रकबा 264 हैक्टर में से मात्र 208 हैक्टर कब्जे काश्त है। तदनुसार नक्शा ट्रेस व खाते की दुरुस्ती घोषण प्रार्थी चाहता है। इस प्रकार कि प्रार्थी का नाम खसरा नं. 259 से विलोपित कर खसरा नं. 256 में बतौर खातेदार दर्ज किया जावे तथा नक्शा ट्रेस दुरुस्त किया जावे। साथ ही प्रार्थी ने प्रा0 पत्र में यह निवेदन किया कि अप्रार्थीगण 1 व 5 दिनांक 17–5–2018 को सुबह के समय प्रार्थी की कब्जे काश्त व खाते की आराजी खसरा नं. 256 की रकबा 2.08 हैक्टर वाके माल मौजा आमल्दा पर आये और मौखिक रुप से प्रार्थी को धमकी दी की प्रार्थी उक्त आराजी से अपना दखल व कब्जा हटाने ले अन्यथा अप्रार्थीगण को जोर जबदरस्ती ताकत के बल पर प्रार्थी को बेदखल कर देगें। क्योकि नक्शा ट्रेस में प्रार्थी की आराजी का खसरा नम्बर गलत दर्ज है। इस आधार पर, जबकि अप्रार्थीगण को ऐसा करने कोई कानूनी हक हासिल नहीं है तथा प्रार्थी अप्रार्थीगण 1 लगायत 5 के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश प्राप्त करने का अधिकारी है। ताकि अप्रार्थीगण प्रार्थी की कब्जे काश्त आराजी खसरा नं. 256 रकबा 2.08 हैक्टर वाके माल मौजा आमल्दा में प्रार्थी के कृषि कार्य में बाधा उत्पन्न नही करे, ना ही आराजी में मदाखलत मजाहमत करें। क्योकि अप्रार्थीगण खसरा नं. 259 की रकबा 2.08 हैक्टर वाके माल मौजा आमल्दा में काबिज चले आ रहे है। तथा नक्शा ट्रेस में खसरा नंम्बर गलत दर्ज होने का ज्ञात अभी हुआ है। अगर अप्रार्थीगण 1 लगातय 5 अपने मकसद में कामयाब हो गये तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन द्रव्य में नहीं किया जा सकेगा। यह कि प्रथम दृष्टया केस प्रार्थी के पक्ष में है, क्योकि आवंटन के समय से आज तक प्रार्थी विवादित आराजी पर शांतिपूर्ण तरीके से काश्त करता चला आ रहा है तथा काफी रुपया पैसा खर्च करके प्रार्थी ने आराजी को उपजाऊ बनाया है।अतः आवेदन पत्र प्रस्तुत कर मूल वाद का फैसला होने तक अप्रार्थीगण 1 लगायत 3 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा निषेधित एवं निरोधित किया जावे कि प्रार्थी के कब्जे काश्त कृषि आराजी खसरा नं. 256 की रकबा 2.08 हैक्टर वाके माल मौजा आमल्दा में प्रार्थी के कृषि कार्य में अप्रार्थीगण 1 लगायत 5 कोई बाधा उत्पन्न नहीं करें ना ही मदाखलत व मजाहमत आराजी में करें ना ही ऐसा कोई कार्य अप्रार्थीगण अपने प्रतिनिधियों से करावे।

प्रा0 पत्र दर्ज रजि0 किया गया। प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि उक्त प्रा0 पत्र अर्जेंट नेचर का है जिसे आज ही सुना जाना अति आवश्यक है। अतः प्रार्थी अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गई पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनने उपरान्त प्रार्थी के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई तथा अप्रार्थीगण की तलबी जरिये सम्मन करवायी गई। जरिए रजि0 एडी तलबी उपरान्त भी अप्रार्थीगण 3 ता 06 के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। दिनांक 21.11.2019 को अप्रार्थीगण 1 व 2 की और से जवाब प्रा0 पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

नकल प्रार्थी अधिवक्ता का दिलवाई गई। अप्रार्थी क्रम 2 के पक्ष में न्यायालय द्वारा दिनांक 01.01.2018 को निर्णय पारित किया है। उक्त निर्णय को निरस्त करने का अधिकार न्यायालय के पास नहीं है। विवादित भूमि न्यायालय के आदेश से अप्रार्थी क्रम 02 के खाते में दर्ज है। यह कि प्रार्थी ने विवादित भूमि के सम्पूर्ण खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया है। नॉन जोईण्डन ऑफ पार्टीज का नुक्स विधयमान है। यह कि अप्रार्थी क्रम 3,4,5 को अनावशक पक्षकार बनाया है।

बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि प्रार्थी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा के आदेश दिनांक 01.01.2018 में पक्षकार नहीं था। प्रार्थी को जिस भूमि पर आवंटन हुआ उसी पर शांतिपूर्वक काविज काश्त था। अप्रार्थी को अगर कब्जेके संबंध में उज्र है तो धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत बेदखली का दावा लावे। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने बाबत न्यायालय की तीन बाते देखनी होती है। प्रथम दृष्टया मामला चूंकि प्रार्थी कब्जाधारी है तथा वादी के रूप में वाद दावा किया है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है। द्वितीय अगर भूमि का अंतरण होता है तो प्रार्थी को अपूरर्णीय क्षति होगी तथा सुविधा संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है अतः अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 30.05.2018 की पृष्टि का ताफैसला जारी की जावे। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने बहस में कथन किया कि प्रार्थी की आराजी अप्रार्थी की आराजी से बिल्कुल अलग है। इन्होंने खसरा नंबर 259 पर कब्जा बताकर ही खातेदारी प्रदान की है। वर्ष 1976 का आवंटन तथा गैर–खातेदारी निर्धारित समय तक रहने के उपरांत ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हुआ है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा मदन लाल के पक्ष में निर्णय पूर्व में किया जा चुका है जिसे न्यायालय दौहरा नहीं सकता। वादी का यह कहना असत्य है कि अप्रार्थी को गलत जगह खातेदारी दी गई है। इस संबंध में आवंटी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। न्यायालय में संबंधित धारा 136 के तहत दुरस्ती आदेश किये है। वाद तथा प्रा0 पत्र में सभी पक्षकारों को संयोजित नहीं किया गया है। अस्थाई निषेधाज्ञा के कारण अप्रार्थी को पेरशान किया जा रहा है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में नहीं होने व सुविधा संतुलन अप्रार्थी के पक्ष में होने के कारण अस्थाई निषेधाज्ञा जो कि 30.05.2018 को जारी की गई अस्थाई निषेधाज्ञा को तत्काल प्रभाव से खारिज किया जावे। उभयपक्षकारान की बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया पत्रावली में बद्रीलाल पुत्र जगन्नाथ को ग्राम आमल्दा की खसरा नंबर 378/2 की 13 भूमि का दखलनामा से 21.06.1976 को कब्जा दिलाने संबंधी दस्तावेज तथा मिलान क्षेत्रफल में खसरा नंबर 256 का विगत खसरा नंबर 378 हस्तगत मामलो को प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में परिलक्षित करता है। साथ ही सेटलमेंट पूर्व खसरा नंबर 398 (13 बीघा) से खसरा नंबर 259 (2.02 है0) का निर्माण होना भी मिलान क्षेत्रफल में अंकित है। इस प्रकार वाद में निर्णय संबंधी पहलू निहित है जिनसे खसरा नंबर 256 तथा 259 के वास्ताविक खातेदारी के अधिकारों का निर्णय होना है। न्यायालय

द्वारा दिनांक 01.01.2018 को प्रा0 पत्र धारा 136 एल0आर0 एक्ट, 1956 के तहत लिपिकीय त्रुटि संबंधी दुरस्ती ही की गई थी न कि खातेदारी अधिकारों की घोषणा। अतः किसी हितबद्ध व्यक्ति के कृषि आराजी में पूर्व में निहित खातेदारी अधिकारों की घोषणा संबंधी अधिकार न्यायालय हाजा को अन्य रूप से राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रासंगिक धाराओं में प्राप्त है जिसके लिए पुर्नावलोकन की आवश्यकता नहीं है। अतः अप्रार्थी के कथन के बिन्दुओं में 01.01.2018 के निर्णय को अपास्त कराये बिना न्यायालय को श्रवणाधिकार नहीं होना बताया है जो कि स्वीकार नहीं है। अप्रार्थी द्वारा खसरा नंबर 256 के अन्य सह खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाने का कथन किया गया है। यह सुस्पष्ट है कि वादी द्वारा प्राभावित व्यक्तियों को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। अतः मूल खसरा नंबर 256 के तथा इससे निर्मित अन्य खसरा नम्बरों में राजस्व अभिलेख में अंकित समस्त व्यक्तियों को मूलवाद में पक्षकार बनाया जावे। विचारण के दौरान विवादित आराजी के अंतरण से प्रार्थी को अपरिमित क्षति कारित होने की संभावना है क्योंकि भूमि का दान, रहन, बेचान इत्यादि करने पर हुई क्षति को मुद्रा द्वारा क्षतिपूर्ति करना संभव नहीं हो सकेगा। हस्तगत वाद में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं करने से प्रार्थी को हुई असुविधा की मात्रा अधिक होगी क्योंकि भूमि के अंतरण से जहां एक ओर वाद में पक्षकारों के संयोजन से जटिलता आयेगी वहीं अनावश्यक विलम्ब से भी प्रार्थी को असुविधा होना संभावित है जबकि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से अप्रार्थी को कोई निश्चित मापनयोग्य या महत्वूपर्ण क्षति/असुविधा होना संभावित नहीं है। अप्रार्थी को विवादित भूमि को अंतरण से रोकना न्यायहित में परम आवश्यक है।

अतः प्रार्थी का प्रा0 पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है कि न्यायालय द्वारा दिनांक 30.05.2018 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के अन्तिम निस्तारण तक प्रभावी रहे तथा प्रार्थी–वादी को आदेशित किया जाता है कि राजस्व अभिलेख में अंकित समस्त व्यक्तियों (खसरा नंबर 250 में) को वाद पत्र के पक्षकार (प्रतिवादी) संयोजित करने का संशोधित शीर्षक पेश करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा